



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियोगक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्रमांक ८३६/प.म.प्र.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक २६/६/२०१८

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम द्वितीय संस्करण अधिनियम 2013 की अन्त वार्षिक विवरण अधिनियम 2016 की घटा १५(८) में दिये गये प्राप्तवानों के अध्यात्मीन गटित नियमित समिति को प्रतिवेदन पर उत्पोदन की ३०वीं सभा दिनांक २०/०६/२०१८ द्वारा क्रमांक (१०)-६०० से लिए गये नियम के आधार पर मध्यविद्यालय कानूनी विवरण परिवर्तन विवरण में उल्लिखित अंतर हेतु स्पष्टता की अनुज्ञा इस तर्त के अध्यात्मीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उमरावारा यात्राक्रम के संबंधन में नानक संघरणी केन्द्रीय एवं चालेय शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 या संशोधित 2013 में प्राप्तवानों को पूर्ण पालन करेगा।

- पूर्व में संघरणी संस्थान पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ हंड्रीनियरिंग एण्ड साइंस, पटेल कॉलेज ऑफ मार्गसी, पटेल इंस्टीट्यूट मार्गसी, पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटेल कॉलेज ऑफ लौ को संगठक इनाह के रूप में संविलियन।
- न्यु विभाग / छात्र संस्था।

विभाग	अवधारणा	क्रमांक	विवरण
Faculty of Engineering Technology	Mechanical Engineering	१०० १०१ १०२	As per availability of seats.
	Electronics & Communication Engineering	१०३ १०४	As per availability of seats.
	Computer Science & Engineering	१०५ १०६	As per availability of seats.
	Civil Engineering	१०७ १०८ १०९ ११०	As per availability of seats.
Faculty of Agriculture Science	Electrical & Electronics Engineering	१११ ११२	
	Agriculture Science	११३ (१) Agriculture	११०

Faculty of Science	Life Sciences	B.Sc. (Hon.)	60
		M.Sc. (Botany)	30
		M.Sc. (Zoology)	30
	Physical & Applied Sciences	M.Sc. (Bio - Technology)	30
		M.Sc. (Environmental Science)	30
		M.Phil	30
	Information & Technology	Ph.D	18 (Each) As per availability of seats
		B.Sc.(Hon.)	120
		M.Sc. (Applied Chemistry)	30
	Information & Technology	M.Sc. (Geography)	30
		M.Sc. (Physics)	30
		M.Sc. (Mathematics)	30
	Information & Technology	M.Sc. (Statistics)	30
		M.Phil	18 (Each)
		Ph.D	As per availability of seats
	Management Studies	DCA	120
		PGDCA	120
		B.Sc. (CS)	60
	Commerce	B.Sc.(IT)	60
		BCA	120
		M.Sc.(CS)	30
	Commerce	M.Sc.(IT)	30
		Ph.D.	As per availability of seats
Faculty	Dept.	Course	Intake
Faculty of Management Studies and Commerce	Management Studies	BBA	120
		MBA	180
		Ph.D.	As per availability of seats
	Commerce	B.Com(Hon.)	60
		B.Com with Computer Application	60
		M.Com	30
		M.Phil	18
		Ph.D	As per availability of seats
Faculty of Law	LAW	B.A.LLB (H)	120
Faculty of Pharmacy, Nursing and Paramedical Sciences	Pharmacy	B. Pharm	100
		M. Pharm	36
		D. Pharm	60
		Ph.D	As per availability of seats
	Nursing	GNM	40
		B.Sc.(N)	50
	Linguistic	B.A (Hon.)	60
		M.A. (Hindi)	30--
		M.A. (English)	30
		M.A. (Sanskrit)	30
		M.Phil	18 (Each)
		Ph.D	As per availability of seats
	Department of Social Sciences	B.A (Hon.)	120
		M.A. (History)	30
		M.A. (Political Science)	30

	M.A. (Geography)	30
	M.A. (Sociology)	30
	M.A. (Economics)	30
	MSW	18
	M.Phil	
	Ph.D.	As per availability of seats
Education	B.Ed	100
Vocational Education	Certificate	As ordinance 34

सचिव

प्रधानमंत्र कलांक ८४/ग्र.प्र.मि.वि.वि.वि.आदोग, भोपाल

दिनांक 26/6/2018

प्रतिस्तिथि—कुलसचिव, मध्याचल प्राक्षणनल विश्वविद्यालय, रातीमढ, पोस्ट रातीमढ तहसील हुजूर जिला भोपाल।

सचिव



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियोगक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL.
Government of Madhya Pradesh

क्र. ७२३

(लाइसेंस)

क्रमांक १०१७/२०

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थानना एवं सचालन) अधिनियम 2007 के पारामुख्यम 2013 एवं 2016 में विभिन्न प्रातानी के अन्तर्गत आयोग की १५७वीं सभा दिनांक ०४/०६/२०२० के एकेष्ठ कामक (१५७)-६ में किए गए उन्नीसवें के अनुकूल ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय भोपाल को उनके मुख्य चरित्र में विभिन्न शास्त्रीय विभागों एवं शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित भाषिका में दिए गए नए विभिन्न को विभिन्न विभागों की अनुमति विभाग द्वारा दिए गए विभिन्न प्रादान ओं जाती है।

New Proposed Courses.

Faculty	Department	Courses	Total
Faculty of Engineering & Technology	Agriculture and Food Processing	B.Tech (Agriculture Engineering) B.Tech (Agriculture Engineering) B.Tech (Agriculture Engineering)	36 36 As per Availability of Seats
	Mass Media	B.Tech (Diploma) (B.Tech)	100
	Architectural & Planning	B.Arch (Bachelor of Architecture)	60
	Rural Engineering	B.Tech (Rural Engineering)	30
	Art & Design	Diploma in Fashion Design (D.F.D.)	120
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences	Humanities and Social Science	G.A. (Paint)	100
	Department of Arts	M.A. (Psychology) M.D. (Psychology)	30 As per Availability of Seats
	Journalism and Mass Communication	Masters of Arts (Mass Media & Communications) M.Phil (Mass Media & Communications)	30 As per Availability of Seats
Faculty of Education	Department of Education	B.Ed.(Primary)	100
Faculty of Management	Management	M.B.A. M.B.A. Hotel Management B.T.C Hotel Management M.B.A. M.B.A. Business Management B.Ed.(Post Graduate Management)	120 100 As per Availability of Seats 100 As per Availability of Seats 100 As per Availability of Seats
Faculty of Agriculture, Technological and Technology	Agriculture	M.Sc. Agriculture (Phyto.) M.Sc. Agriculture (Entomology) M.Sc. Agriculture (Soil Tech.) M.Sc. Agriculture (Seed Tech.) M.Sc. Agriculture (Biosci.) M.Sc. Agriculture (Crop Protection) M.Sc. Agriculture (Agri. Economics) M.Sc. (Agriculture) (Agri. Economics)	30 30 30 30 30 30 30 As per Availability of Seats
Faculty of Science and Applied Sciences	Department of Life Sciences Department of Physical and Applied Sciences	B.Sc. (Life Sciences) B.Sc. (Physical Sciences) Bachelor of Mathematics & Mathematics (B.A. M.) Bachelor of Graphic Design (B.G.D.)	30 30 30 300

ज्ञातः—

- यूजीसी एवं संबंधित विभिन्नमात्र परिक्षाओं जैसे एनटीटीई, एनडीसीटीई, काल्पनिक वात्र आविष्टेकरण और अन्यथा एवं एसी अनुमति प्राप्त होने वाले वार्षिक या वार्षिक योगदानकर्त्ता को समालित करने की अनुमति प्राप्त जाती है।

लिखित: —

मध्यांचल ग्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातिवड, नोपाल द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति।

१. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन द्वारा सबनियुक्त विभिन्नमात्र परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अकातोगारी हैलाइक रिटार्न और विद्युक्त तुच्छिकृत की जान अनिवार्य होगा।
२. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रयोग संबंधित विभिन्नमात्र परिषदों वो गाईबलाईन के अनुसार दिये जायेगे।
३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्णीत वो गई गाईबलाईन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित बिंदा जान अनिवार्य होगा।
४. विश्वविद्यालय गो उच्च विद्या विभाग में आपले एवं भ्रष्टविविधि जायेग के द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण वाहन अंतिम दोगा ताता नेक से प्रत्यापत एवं मूल्यांकन अंगठार्यत बराबर होगा।
६. अध्यार्थियों पाठ्यक्रमों द्वारा नानक परिषदों से एकड़ेटिशन आवश्यकता काम से ग्राप्त करना होगा।
७. गुजराती का पाठ्यपालन-काल वात्यकर्म में प्रोत्तित विद्यार्थियों का डिप्लोमा डिग्री एवं अन्य शीलिंगक द्रवारा पास का विजिटल रिकार्ड (एनएडी से) रखार्दित करना होगा।
८. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी द्रवार की अनियन्त्रितता जावे जाने पर एवं नियोगान के द्वारा नियरी प्रकार की गोपीर न्यूनता पाये जाने पर नियमद्रुतार अनुमति निरसा की जायेगी।

पूर्वानुमत कर्ता का नाम: मुकुट न.प्र.विविधि.आयोग/भोपाल

दिनांक : 10/07/2020

प्रतिलिपि:- १. अनुसार्य भव्यांचल ग्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातिवड, नोपाल (मप.)
२. आमत, नवानि विविधि आयोग को सुचनायें।



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय ति ; आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL.

Government of Madhya Pradesh

10751

दिनांक ०५/०६/२१

कागज / मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय / संचालन / भोपाल
प्रति,

कुलसंचिप

मध्यांचल प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
रातीबड़, भोपाल।

विषय- मध्यांचल प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रातीबड़ भोपाल को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या की वृद्धि बाबत।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 71 दिनांक 22.12.2020

मध्यांचल प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रातीबड़ भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या के अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के संबंध में सदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त विस्तृत प्रस्ताव के परिवेद्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 विधासशासित 2013 एवं 2016 की घारा 9(र) से विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अतीर्क गहित निरिचार समिति के प्रतिवेदन की आधेन की 166 वीं सभा की बैठक दिनांक 20.05.2021 के एजेंडा क्रमांक क्रमांक (166)-09 में विचारणे प्रत्युत किया गया। जिसमें पूर्ण विचारोपरात लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मध्यांचल प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रातीबड़ भोपाल को उनके मुत्त्य परिवर्त में संचालित शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से संचालित करने की अनुमति निम्न भारों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

S.no.	Courses	Ordinance No.	Approved Intake
1	MBA (Entrepreneurship)	41	60
2	MBA (NGO Management)	41	60
3	MBA (Hospital Administration)	41	60
4	MBA (banking insurance)	41	60
5	MBA (information technology)	41	60
6	MBA (Retail Management)	41	60
7	Diploma in Agriculture	54	240
8	Ph.D (Education)	47	As per availability of qualified guide

मध्याधिल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रातीबड़ भोपाल को जैक्सिक सत्र 2020-21 से नयीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या की वृद्धि हेतु प्रस्तुत

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में रवीकृत शीट संख्या में वृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को परिप्रेक्षा में निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर आयोग की सभा में पूर्ण विश्वार विमर्श उपरांत नियमानुसार सीटों की वृद्धि प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

Permission for increase in intake in Computer Applications Course from Session 2020-21

S.No.	Course Name	Ordinance No.	Existing Intake	Additional Intake permitted	Total Intake
1	DCA	22	120	160	280
2	PGDCA	23	120	160	280

नोट-

- एम.बी.ए कोर में अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के प्रस्ताव को अमान्य घिया जाता है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में यदि पूर्व में अधिनियम की वारा 9(थ) के अतर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की गई तो उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जाए।

पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शर्तें :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी एवं संबंधित विनियामक परिषदों ने मापदण्डों के अनुसार जैक्सिक स्टाफ की नियुक्ति सुनीकृत की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाइडलाइन के अनुसार दिये जाएंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित विनियामक परिषदों (एआई-सीटी एवं आई.सी.एआर) हाल नियारित की गई गाइडलाइन / नाप्र०प्ती का प्रालन हुलेशिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, सप्र. शासन एवं सप्र. नियिवि आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी नियंत्रणों वा प्रालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। तथा नेक प्रत्यायन एवं मुल्यांकन अनिवार्यतः करना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों (एन.बी.ए) से रोडिंग / मुल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
- नेशनल इन्स्टीट्यूशनल रेकिंग एम्बडर्स (एन.आई.आर.एफ.) हेतु नियारित मानकों के अनुसार सम्भव एवं संबंधित पाठ्यक्रमों की रेकिंग हेतु आवश्यक करना होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ की जाना अनिवार्य होगा।
- यूजीसी के प्रागपाठ्यानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की अकास्थी, डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य वैश्वालिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार वी जानेवाली पाये जाने पर एवं आयोग द्वारा निरीक्षण के द्वारा जानेवाली प्रकार वी गवीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।

(नियमानुसार नियारित आयोग द्वारा अनुमति)

क्र. क्री. सालु

सचिव

नियमानुसार नियारित आयोग सचिव

मु. क्र. संस्करण/मु. क्र. नियारित/2021
नियमानुसार नियारित आयोग सचिव द्वारा अनुमति
दिन तिथि

भोपाल विभाग

सचिव

नियमानुसार नियारित आयोग भोपाल